



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022024-252416
CG-DL-E-27022024-252416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 885]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2024/फाल्गुन 8, 1945

No. 885]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2024/PHALGUNA 8, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2024

विनाइल एसीटेट मोनोमर (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 927(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात्, यह राय रखती है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, विनाइल एसीटेट मोनोमर (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 में का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनाइल एसीटेट मोनोमर (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विनाइल एसीटेट मोनोमर (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित

उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 31 मार्च, 2025 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी (भाग 2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में कासंख्याक .आ. 5405 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. संख्याक 2435 (अ), तारीख 30 मई, 2022 और का.आ. 5496 (अ), तारीख 25 नवंबर, 2022 और का.आ. 2334 (अ), तारीख 23 मई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2024

Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Amendment Order, 2024

S.O. 927(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Order, 2021, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.** - This Order may be called the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted namely:—

“(2) It shall come into force on the 31st day of March, 2025.”

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC (Pt.2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 5405(E), dated the 22nd December, 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2435(E), dated the 30th May, 2022, S.O. 5496(E), dated the 25th November, 2022 and S.O. 2334(E), dated the 23rd May, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2024

मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 928(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात, यह राय रखती है कि लोकहित

में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मिथाइल एक्रिलेट इथाइल एक्रिलेट ,(क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है ,अर्थात्:-

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- इस आदेश का नाम मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 31 मार्च, 2025 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी (भाग 2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में कासंख्याक .आ. 5406 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. संख्याक 2436 (अ), तारीख 30 मई, 2022 और का.आ. 5497(अ), तारीख 25 नवंबर, 2022 और का.आ. 2 335(अ), तारीख 23 मई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2024

Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Amendment Order, 2024

S.O. 928(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.**- This Order may be called the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted namely: —

“(2) It shall come into force on the 31st day of March, 2025.”

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC (Pt.2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 5406(E), dated the 22nd December, 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2436(E), dated the 30th May, 2022, S.O. 5497(E), dated the 25th November, 2022 and S.O. 2335(E), dated the 23rd May, 2023.